

**कार्यालय कलेक्टर जिला कोण्डागांव एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व
विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

-: प्रारंभिक अधिसूचना :-

क्रमांक/ [S/4/202303200400020/अ-82/2022-23 कोण्डागांव, दिनांक 01/05/2023
06

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने (1) से लेकर खाने (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा-1 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

-: अनुसूची :-

भूमि का विवरण						धारा 12	सार्वजनिक
जिला	तहसील	ग्राम/ प.ह.नं.	खसरा नंबर	कुल रकबा (हे.)	प्रभावित रकबा (हे.)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
कोण्डागांव	बड़ेराजपुर	लिहागांव /12	293/3/क	0.149	0.0990	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी केशकाल	लिहागांव- बांसकोट मार्ग के कि.मी. 2/10 भंवरडिंग नदी पर सेतुमय पहुंच मार्ग निर्माण
			296/3	0.202	0.0160		
			293/2/क	0.149	0.0220		
			296/2	0.202	0.0140		
			293/4/क	0.149	0.0190		
			296/4	0.202	0.0130		
			294	1.651	0.1190		
			299	1.254	0.0660		
			291/4	0.143	0.0350		
			297/1	0.077	0.0040		
			297/2	0.076	0.0130		
			297/3	0.076	0.0090		
			297/4	0.076	0.0090		
			297/5	0.076	0.0280		
			298/1	0.441	0.0030		
			296/1	0.202	0.0230		
			293/1	0.202	0.1350		

		291/3	0.227	0.0070		
		291/3/ख	0.053	0.0350		
		293/2/ख	0.053	0.0350		
योग :-			20	5.660	0.7040	

- 2- यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाघात निर्धारण के निष्कर्षों के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम 2013 की धारा 15 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।
- 3- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी केशकाल, जिला-कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 4- प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का आवास परियोजना क्षेत्र में आ जाने के कारण उनका विस्थापन किया जाना प्रस्तावित है।

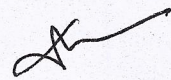
अथवा

- प्रस्तावित भू-अर्जन से 0 प्रभावित परिवारों का आवास परियोजना क्षेत्र में आ जाने के कारण उनका विस्थापन किया जाना प्रस्तावित है।
- 5- प्रस्तावित प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन को छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिसूचना क्रं. एफ 4-28/सात-1/2014, दिनांक 02.03.2015 के द्वारा अधिनियम, 2013 के अध्याय "दो" एवं "तीन" के प्रावधानों छूट प्रदान की गई हैं।

अथवा

- प्रस्तावित प्रयोजन के भू-अर्जन के लिए कराये गये सामाजिक समाघात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाघात की तुलना में सामाजिक लाभ अधिक होना पाया गया है।
- 6- प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) केशकाल, जिला-कोण्डागांव को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(दीपक सोनी)

कलेक्टर जिला-कोण्डागांव
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग